सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः489 /38–6–2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनॉकः27 मई, 2012

विषयः सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय गणना–2011 (SECC-2011) के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में 'सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित गणना–2011' कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके कम में उत्तर प्रदेश राज्य में अधिसूचना संख्या–365/अड़तीस–6–12–1जी.आई./2010 टी.सी.–II, दिनॉक 13 अप्रैल, 2012 के द्वारा 1 जून, 2012 से प्रारम्भ कर पूर्ण होने तक उक्त सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित गणना करने की घोषणा की जा चुकी है एवं अधिसूचना संख्या–366/अड़तीस–6–12–1जी.आई./2010 टी.सी.–II, दिनॉक 13 अप्रैल, 2012 के द्वारा उक्त जनगणना हेतु प्रगणन के दौरान गृह स्वामियों से ग्रामीण क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्रों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रश्नावली भी अधिसूचित कर दी गयी है। प्रश्नगत सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय गणना हेतु अपनायी जाने वाली पद्धति (Methodology) भी शासनादेश संख्या–जी.आई.–225/अड़तीस–6–2011–1जी.आई./2010टी.सी.–II, दिनॉक–09.11.2011 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2. प्रश्नगत जनगणना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं व्यापक है और इस हेतु वही प्रशासनिक व्यवस्था अपनायी जानी है जो सामान्य जनगणना–2011 हेतु जनपदों में अपनायी गयी थी। अर्थात प्रगणन ब्लाक, पर्यवेक्षण ब्लाक व चार्ज सेन्टर वही होंगे जो सामान्य जनगणना–2011 हेतु बनाये गये थे। प्रश्नगत जनगणना कार्य हेतु विभिन्न स्तर पर जो–जो कार्य जिस समय सीमा में पूर्ण किये जाने हैं, आपकी सुविधा हेतु इसकी एक चेक लिस्ट भी शासनादेश संख्या–395/अड़तीस–6–12–1जी.आई./2010 टी.सी.II, दिनॉक 20 अप्रैल, 2012 के द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा पत्र संख्या–428/अड़तीस–6–12–1जी.आई/2010 टी.सी.II, दिनॉक 23 अप्रैल, 2012 के द्वारा चार्ज सेन्टरों की स्थापना एवं उन पर उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं (कम्प्यूटर, प्रिन्टर, चार्जर, जनरेटर एवं फर्नीचर आदि) की विशिष्टियॉ भी उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। आशा है कि आपके स्तर से चार्ज सेन्टरों की स्थापना एवं उन पर अपेक्षित अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही होगी।

3. प्रश्नगत जनगणना कार्य की व्यापकता एवं तकनीकी प्रकृति को देखते हुए इसमें लगने वाले प्रत्येक स्तर के कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण की व्यापक रूप–रेखा तैयार की गयी है, जो शासन के पत्र संख्या–375/अड़तीस–6–12–1जी.आई./2010 टी.सी.II, दिनॉक 18 अप्रैल, 2012 के द्वारा आपको संसूचित की जा चुकी है। मुख्य प्रशिक्षक सहयोगकर्ता (मास्टर ट्रेनर फैसिलिटेटर) का प्रशिक्षण राज्य मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया गया है, जिनके द्वारा मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। अपेक्षा की गयी है कि मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण का कार्य 15 मई, 2012 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय। तदन्तर मुख्य प्रशिक्षकों द्वारा चार्ज सेन्टर स्तर पर प्रगणकों, पर्यवेक्षकों एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया जाना है। यह प्रशिक्षण कार्य 30 मई 2012 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाना है। मुख्य प्रशिक्षकों क प्रशिक्षण मण्डल मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया जाना व्यावहारिक तौर पर

उपयुक्त होगा, जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित मण्डलायुक्त के पर्यवेक्षण में मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

4. प्रश्नगत जनगणना हेतु सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ''प्रधान सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय जनगणना अधिकारी'' शासन के ज्ञाप संख्या–367/अड़तीस–6–12–1जी.आई./2010 टी.सी.ा, दिनॉक 16 अप्रैल, 2012 के द्वारा नियुक्त किया गया है एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–368/अड़तीस–6–12–1जी.आई/2010 टी.सी.ा, दिनॉक 16 अप्रैल, 2012 समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्रों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं नोटीफाइड एरिया/कन्टोनमेन्ट बोर्ड आदि हेतु तथा समस्त नगर आयुक्त उत्तर प्रदेश को सम्बन्धित नगर निगम क्षेत्रों हेतु ''जिला सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय जनगणना अधिकारी'' नियुक्त किया गया है एवं उनके सहायतार्थ समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, उप/सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय को कार्यालय ज्ञाप संख्या–390/अड़तीस–6–12–1जी.आई./2010टी.सी.ा, दिनॉक 18 अप्रैल, 2012 द्वारा ''अतिरिक्त/सहायक, सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय जनगणना अधिकारी'' नियुक्त किया गया है। चार्ज अधिकारी, पर्यवेक्षण सुपरवाइजर, प्रगणक आदि की नियुक्ति जिलाधिकारियों द्वारा अपने स्तर से की जायेगी।

5. अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय जनगणना की संवेदनशीलता, उपादेयता, व्यापक स्वरूप एवं समयबद्धता को देखते हुए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्राधिकारियों एवं लोक सेवकों द्वारा इस कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय। जनगणना कार्य के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पादन हेतु प्रत्येक स्तर पर नियमित एवं सघन अनुश्रवण अपेक्षित है। अतः उचित होगा कि मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के स्तर पर इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाय एवं प्रगति से साप्ताहिक आधार पर शासन को अवगत कराया जाय।

साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट हेतु निर्धारित प्रपत्र अलग से संसूचित किया जायेगा।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या-489 (1)तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद/संसदीय कार्य विभाग।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/विधायी विभाग।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. राज्य समन्वयक (स्टेट नोडल आफीसर)/आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय/राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)/सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक/राज्य नोडल आफीसर, इण्डियन टेलीफोन इन्टस्ट्रीज, लखनऊ।
14. अपर राज्य समन्वयक/अपर आयुक्त (प्रशासन/मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
2.5.2012

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।